# दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम

## डिक्री

दिनांक :– 13/02/2026

वादीगण की ओर से श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

**चक 10 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 70/63 की 1.5810 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी व चक 9 एलकेएरा– ए के खाता सं. 42/26 की कुल 0.4240 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी मे वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।**

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:19:22 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 13/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमा मित्तल आर.ए.एस. )
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:19:22 IST
Reason: SelfAttested